कार्यवृत्त

सोमवार, 18 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1941

(दिनांक 09 दिसम्बर, 2019)

खण्ड–55

अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस सदन की परम्परा रही है कि जब किसी सदस्य की मृत्यु होती है और उसके बाद जब हाउस आहूत होता है, उसके प्रथम दिन शोक सन्देश लाया जाता है, लेकिन मा0 पूर्व सदस्य श्री कौलदास जी की मृत्यु जुलाई में हुई थी, उसके बाद पहली बार सदन बैठा है और आज सदन का चौथा दिन है और इस परम्परा को तोड़ा गया है। पहले दिन शोक सन्देश नहीं आया है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस परम्परा को न तोड़ा जाए, परम्परा रहनी चाहिए। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता।

पुनः मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मान्यवर, मेरा एक निवेदन और है कि माननीय नेता सदन जी आज सदन में मौजूद हैं। मैंने अपने अल्मोड़ा जनपद के गरुड़ाबाज में श्री हरी प्रसाद टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान के बजट के बारे में आग्रह किया था, लेकिन उसका तीन साल से काम रुका हुआ है और शिल्पकारों से जुड़ा हुआ संस्थान है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय नेता सदन इसमें अपना वक्तव्य दें। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता।

श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित प्रश्न–1 पुकारे जाने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मान्यवर, मेरी एक आपत्ति है, जो श्राइन बोर्ड का बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, बाकी सभी बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उल्लेखित किया है। इसको उल्लेखित नहीं किया गया है। इसके बाद भी आप पुरःस्थापित कर सकते हैं। मान्यवर, इस पर भारी असन्तोष है, श्राइन बोर्ड के बारे में हमें बिल नहीं मिला है। पता चला है कि आज पुरःस्थापित होने के बाद मिला। हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि उसमें क्या है। मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड के पुरोहित घूम रहे हैं और हमारे पास आते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करती हूँ कि इसका सम्बन्ध मुझसे नहीं पूरे उत्तराखण्ड से है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, इसको हम आज पटल पर रखेंगे। आपके पास आज और कल का समय है आप पढ़ लीजिए। इस पर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए और अपनी– अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों से शान्त रहने का अनुरोध किया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि क्या नियम के तहत इस विषय को उठा रहे हैं। इस पर श्री अध्यक्ष द्वारा पुनः माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया गया।

लेकिन नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आ गए और अपनी– अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इसे चुपचाप पास कराना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य इसे नियमों में लेकर आएं, सरकार हर चीज का जवाब देने को तैयार है, बिना किसी नियम के सदन को अव्यवस्थित करना उचित नहीं है। श्री अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आपने नियम–310 में टीएचडीसी का मुद्दा दिया है एवं आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी लगे हुए हैं, परन्तु नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् अपनी– अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। **इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 16 मिनट पर 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।**

सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में बैठे हुए थे। श्री अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष से सदन को व्यवस्थित कराए जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु 'वेल' में बैठे माननीय सदस्य एक साथ अपनी बात कहते हुए नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया। **इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 40 मिनट पर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।**

12 बजे मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली–2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित मान लिए जाएंगे।

12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों से आसन ग्रहण किए जाने का अनुरोध किया गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि श्राइन बोर्ड बिल का पुरःस्थापन का जो विषय आया है, उसे लेकर हमारे सदस्य, जो विशेष रूप से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े हुए हैं। इस विषय को समझने के लिए सरकार आश्वासन दे कि वह इसे प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, जब मद संख्या–16 आएगा, तो विषय भी आ जाएगा। श्री अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष से मद संख्या–3 निधन के निदेश में सभी लोगों का सहयोग का अनुरोध किए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी सदस्य 'वेल' से वापस आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गए।

स्व0 श्री कौल दास पूर्व सदस्य, उत्तराखण्ड तथा स्व0 श्री बी0 डी0 शर्मा, पूर्व सदस्य, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, एवं स्व0 श्री रणजीत सिंह वर्मा, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री, तथा मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी शोकोद्गार व्यक्त किएः–

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार,
2. श्री प्रीतम सिंह,
3. श्री सतपाल महाराज, मा0 पर्यटन मंत्री,
4. श्री हरबन्स कपूर,

मा0 अध्यक्ष ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि सदन की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुँचा दिया जाएगा। तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इनमें से 07 सूचनाएं स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लाई गईः–

1 श्री उमेश शर्मा (काऊ) अतिक्रमण के	रिस्पना पुल से आराघर चौक तक विगत 2 वर्षों से पूर्व दौरान सड़क व नाले के स्लैब तोड़े जाने के बाद पुनः निर्माण न किए जाने से प्रत्येक दिन होने वाले हादसों से जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व असन्तोष के सम्बन्ध में । **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

2 श्री खजान दास — राजपुर रोड विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत/देहरादून/प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का नियमितीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

घोर व्यवधान के ही मध्य मा0 सदस्य श्री मनोज रावत द्वारा सरकार से श्राइन बोर्ड एक्ट वापस लेने एवं इससे जनभावना जुड़े होने का अनुरोध श्री अध्यक्ष से किया गया। इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए, और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। इस पर श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण किए जाने को अनुरोध किया गया।

परन्तु नेता प्रतिपक्ष तथा श्री फुरकान अहमद को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

3. श्री मनोज रावत — राज्य सरकार ने वर्ष अप्रैल 2017 में राज्यपाल की संस्तुति के उपरान्त वर्ष 2015 के लिए ''शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार न मिलने के कारण शिक्षकों का मनोबल प्रभावित होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री मनोज रावत का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य अपनी सूचना प्रस्तुत करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए ।)

3 श्री फुरकान अहमद — जनपद हरिद्वार में स्थित पिरान कलियर क्षेत्र में गंगनहर पुल के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

4 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना — जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में स्वीकृत मोटर पुलों के वर्षों से लम्बित होने के कारण स्थानीय जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
(पढ़ी हुई मानी गई।)

5 श्री राजकुमार ठुकराल — उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति बनाए जाने व दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक दिए जाने के सम्बन्ध में।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**

6 श्री पुष्कर सिंह धामी — उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पूर्व सैनिकों को आन्दोलन पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खजूरी में श्मशान घाट की चाहरदीवारी व छतरी निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री योगेश त्यागी पुत्र श्री बिजेन्द्र त्यागी ग्राम खजूरी, पो0 मानकपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडली में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' डा0 शिशपाल पुत्र श्री राजपाल सिंह ग्राम डाडली, पो0 सिरचन्दी जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकन्दरपुर में अम्बेडकर पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री नदीम अब्बास ग्राम सिकन्दरपुर, पो0 भैसवाल खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकरौडा में मेन सड़क (भगवानपुर) से सिकरोड़, I ग्राम तक 800X4 मीटर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अंकित कुमार पुत्र श्री मोहन ग्राम सिकरौडा, पो0 सिकरौड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम नवादा रोलाहेड़ी में कब्रिस्तान की चारदिवारी निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अलीम पुत्र श्री खुर्शीद ग्रम नवादा रोलाहेड़ी, पो0 हल्लूमजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष से अपने सदस्यों को स्थान ग्रहण किए जाने का अनुरोध किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब तक श्राइन बोर्ड विधेयक वापस नहीं लिया जाता, तब तक वह अपने स्थान पर वापस नहीं आएंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर प्रतिपक्ष के सभी मा0 सदस्यगण 'वेल' में पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे।

घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 की बैठक में दिनांक 09 दिसम्बर 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

09 दिसम्बर, 2019

विधायी कार्य–

1- उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।
2- उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।
3- कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।
4- संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।
5- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।
6- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।
7-सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत मा0 नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश, एवं श्री प्रीतम सिंह की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे सभी सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत सुन लेंगे।

घोर व्यवधान के ही मध्य नेता प्रतिपक्ष एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में बैठेकर अपनी बात उठाते रहे और नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवघान हो गया। मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि सदन व्यवस्थित नहीं है इसलिए वे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्यों से अनुरोध किया गया कि आप सभी सदस्यों की नियम–58 में महत्वपूर्ण सूचनाएं लगी हैं, लेकिन मा0 सदस्य पूर्ववत अपने स्थान पर ही रहे। **घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 20 मिनट पर 03 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।**

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्यों से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया गया और कहा कि पीठ से नियम आया है कि आपको सुनने का पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े रहकर अपनी बात उठाते रहे और नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–19 ''यह सदन {उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019} का अननुमोदन करता है'' के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–8, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर माननीय सदस्यों से प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर माननीय सदस्यों से प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर माननीय सदस्यों से प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर माननीय सदस्यों से प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य नेता प्रतिपक्ष ने कहा उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019 जो आज पुरःस्थापित किया गया है, उसके बारे में सरकार ने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहीं लिया और उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी कि कितना महत्वपूर्ण है, यहां के तीर्थ पुरोहितों और जो लोग वहां पर काम करते हैं, उनके बारे में प्रतिपक्ष को भरोसे में लें, यह भी आवश्यक नहीं समझा। सरकार मनमाने ढंग से हमारे ऊपर थोपना चाहती है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इनका आक्रोश सही है, सरकार ने बुलाकर वार्ता नहीं की, इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जब प्रस्ताव विचार के लिए आएगा, तब इस पर अपनी बात रख सकते हैं और श्री उपाध्यक्ष ने कहा मा0 नेता प्रतिपक्ष के सुझाव पर पुनः विचार किया जाएगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर माननीय सदस्यों से प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–6, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–52, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर माननीय सदस्यों से प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य ससंदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

वित्तीय वर्ष 2019–2020 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–

(1) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत **रु0 71250 हजार (सात करोड़,,बारह लाख, पचास हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–1 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(2) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत **रु0 260970 हजार (छब्बीस करोड़,,नौ लाख, सत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री उपाध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आप सदन की सबसे सीनियर सदस्य हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपसे सुबह से ही मा0 सदस्य मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, मेरी आपत्ति यह है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह कार्य–मंत्रणा समिति में नहीं आया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किस नियम के तहत वापस लें? जब विचार के लिए आएगा तब आप विचार रख लें, वह कार्य–मंत्रणा में नहीं आता है, केवल चर्चा के लिए आता है। श्री उपाघ्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि आपके विचार पर पुनः विचार किया जाएगा, अभी तो टेबल हुआ है, फिर चर्चा होगी, आप उस समय अपने सुझाव रख सकते हैं।

(3) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रु0 104350 हजार (दस करोड़, तैंतालीस लाख, पचास हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(4) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रु0 340635 हजार (चौंतीस करोड़, छः लाख, पैंतीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(5) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रु0 156302 हजार (पन्द्रह करोड़, तिरसठ लाख,दो हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(6) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रु0 3798573 हजार (तीन सौ उन्यासी करोड़, पचासी लाख, तिहत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(7) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रु0 572624 हजार (सत्तावन करोड़, छब्बीस लाख, चौबीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(8) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रु0 2880173 हजार (दो सौ अठ्ठासी करोड़, एक लाख, तिहत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(9) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रु0 627398 हजार (बासठ करोड़, तिहत्तर लाख, अठ्ठानवे हजार)** रुपये अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(10) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रु0 3728506 हजार (तीन सौ बहत्तर करोड़, पिचासी लाख, छः हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(11) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 सूचना अन्तर्गत **रु0 53068 हजार (पांच करोड़, तीस लाख, अड़सठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(12) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रु0 1308980 हजार (एक सौ तीस करोड़, नवासी लाख, अस्सी हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(13) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रु0 485401 हजार (अड़तालीस करोड़, चौवन लाख, एक हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(14) घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रु0 668698 हजार (छियासठ करोड़, छियासी लाख, अठ्ठानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष 3 बजकर 32 मिनट पर पुनः पीठासीन हुए।

(15) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत **रु0 42062 हजार (चार करोड़, बीस लाख, बासठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(16) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रु0 966554 हजार (छियानवे करोड़, पैंसठ लाख, चौवन हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(17) घोर व्यवधान के ही मध्य सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि

अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रु0 2198600 हजार (दो सौ उन्नीस करोड़, छियासी लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(18) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत **रु0 285000 हजार (अठ्ठाईस करोड़, पचास लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(19) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रु0 2339000 हजार (दो सौ तैंतीस करोड़, नब्बे लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(20) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत **रु0 571600 हजार (सत्तावन करोड़, सोलह लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(21) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत **रु0 376500 हजार (सैंतीस करोड़,पैंसठ लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय

अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(22) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत **रु0 12675 हजार (एक करोड़, छब्बीस लाख, पचहत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(23) घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत **रु0 305990 हजार (तीस करोड़, उनसठ लाख, नब्बे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(24) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत **रु0 914348 हजार (इक्यानवे करोड़, तैंतालीस लाख, अड़तालीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(25) घोर व्यवधान के ही मध्य पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रु0 308124 हजार (तीस करोड़, इक्यासी लाख, चौबीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(26) घोर व्यवधान के ही मध्य उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रु0 161689 हजार (सोलह करोड़, सोलह लाख, नवासी हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(27) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 1302135 हजार (एक सौ तीस करोड़, इक्कीस लाख, पैंतीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(28) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 466124 हजार (छियालीस करोड़, ईकसठ लाख, चौबीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2019–2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2019–2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य विधेयक की प्रतियां वितरित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2019–2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, तथा अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2019–2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई, वे इनमें सेः–

मा0 सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल की सूचना जो कि जनपद बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्माणाधीन धरमघर– चुचेर मोटर मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य कि लिए तथा

मा0 सदस्य श्री केदार सिंह रावत की सूचना जो कि जनपद उत्तरकाशी के कल्डयानी स्थित भागीरथी लीसा उद्योग को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेजों के भवनों का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में, श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार बडे पैमाने पर होने से प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को रोकने के सम्बन्ध में, श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद चमोली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा उजवलपुर, डुंग्री, जसपुर मोटर मार्ग पर अभी तक आटागाड़ नदी पर पुल न बनने से यातायात अवरूद्ध होने के सम्बन्ध में, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की समयावधि सर्दियों में प्रातः 08:45 से दोपहर 02:00 बजे तक कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य सदन की कार्यवाही 3:00 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।